[2014] 14 एस. सी. आर. 343

ऑयलेंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

मेसर्स एम्बिका मिल्स कंपनी लिमिटेड अन्य के आधिकारिक समकक्ष

(2006 की सिविल अपील सं. 1746)

17 अप्रैल, 2014

{सुरिंदर सिंह निजार और ए. के. सिकरी, जे. जे.]

कंपनी अधिनियम, 1956: धारा 529 और 529ए आर/डब्ल्यूएस 125- ओ. एन. जी. सी. को प्रतिवादी-कंपनी को कथित दर पर गैस की आपूर्ति करने का निर्देश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी अपनी अचल संपत्तियों से शुल्क नहीं लेगा, बोझ नहीं उठाएगा या उनका हस्तांतरण नहीं करेगा-इसके बाद, डी कंपनी समाप्त हो गई-अपीलकर्ता निगम द्वारा कंपनी याचिका में 15.4 के आदेश के बल पर सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने बकाया के भुगतान के लिए आवेदन। 1987 कंपनी न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अस्वीकार किया गया-आयोजितः आई. डी. 1 का दिनांकित आदेश परिसमापन में कंपनी पर केवल ई प्रकृति का प्रतिबंध था कि वह अपनी किसी भी संपत्ति को और बोझ न बनाए। इसका आरोप लगाने का प्रभाव नहीं पड़ा-उपक्रम के अवलोकन से पता चलता है कि कंपनी ने किसी विशेष अचल संपत्ति की पहचान नहीं की है जो अपीलकर्ता के पक्ष में एफ देनदारियों के निर्वहन में उपलब्ध कराई जाएगी-इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उपक्रम के साथ पढ़ा गया अंतरिम आदेश परिसमापन में कंपनी की

किसी विशेष संपत्ति का प्रवर्तनीय शुल्क बनाने का इरादा व्यक्त करता है-अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश द्वारा ओ. एन. जी. सी. के पक्ष में कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

प्रत्यर्थी-कंपनी अपीलकर्ता निगम से गैस की आपूर्ति प्राप्तकर्ता थी। गैस की आपूर्ति के संबंध में विवाद से उत्पन्न एक अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने 15.4.1987 दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी को रुपये की दर से गैस की आपूर्ति की जाएगी। 1000/- प्रति 1000 घन मीटर, इस वचन के अधीन रहते हुए कि प्रत्यर्थी अपनी किसी भी अचल संपत्ति पर शुल्क नहीं लेगा, बोझ नहीं उठाएगा या उसे अलग नहीं करेगा, सिवाय न्यायालय की अनुमति के। इसके बाद, 1995 की कंपनी याचिका संख्या 121 दायर की गई और दिनांक 17.01.1997 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-कंपनी को समाप्त करने का आदेश दिया। अपीलकर्ता निगम ने 1995 की कंपनी याचिका संख्या 121 में 2000 की आवेदन संख्या 445 दायर कर निर्देश देने की मांग की कि निगम की बकाया राशि का भुगतान कंपनी द्वारा परिसमापन में किया जाए। इसके अलावा प्रतिवादी-कंपनी को किसी भी प्रकार के हस्तांतरण और अपनी अचल संपत्तियों के निर्वहन से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। एकल न्यायाधीश द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया था और अपीलार्थी की अपील को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

तत्काल अपीलों में, अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर अपीलकर्ता के पक्ष में कोई प्रतिभूति नहीं बनाई गई थी।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता केवल अन्य असुरक्षित लेनदारों के बराबर बकाया की वसूली करने का हकदार है। यह दावा नहीं किया जा सकता है कि 15.4.1987 दिनांकित आदेश ने जी परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक प्रवर्तनीय शुल्क बनाया है। उक्त आदेश केवल परिसमापन में कंपनी पर प्रतिबंध की प्रकृति में था ताकि उसकी किसी भी संपत्ति को और बोझ न डाला जा सके। उसके पास नहीं था। एक आवेश बनाने का प्रभाव। [पैरा 20-21] [355-A-B; 358-A-B]

इंडियन बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक, चेमीन्स एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड और अन्य, 1998 (5) एस. सी. सी. 401:1998 (3) एस. सी. आर. 255-विश्वसनीय।

जे. के. (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम न्यू कैसर-ए-हिंद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड 1969 (2) एससीआर 866-लागू नहीं किया गया।

1.2 15 तारीख के आदेश का एक पठन 15-4-1987 यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह सबसे पहले ओ. एन. जी. सी. को 1000 क्यूबिक मीटर के लिए रुपये 1000 की दर से गैस की आपूर्ति जारी रखने का निर्देश देता है। ऐसा निर्देश केवल प्रतिवादी द्वारा दिए गए एक वचन पर लागू किया जाएगा कि वे इस न्यायालय की अनुमति के अलावा किसी भी संपत्ति पर बोझ नहीं उठाएंगे या उसे अलग नहीं करेंगे। एक और निर्देश यह था कि संबंधित उपक्रम में शामिल अचल संपत्तियों को प्रतिवादी कंपनी की संबंधित देनदारियों के निर्वहन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उपक्रम के अवलोकन से पता चलता है कि कंपनी ने किसी विशेष अचल संपत्ति की पहचान नहीं की है जो अपीलकर्ता के पक्ष में देनदारियों के निर्वहन में उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उपक्रम के साथ पढ़ा गया अंतरिम आदेश परिसमापन में कंपनी की किसी विशेष संपत्ति का प्रवर्तनीय शुल्क बनाने का इरादा व्यक्त करता है। इस

न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश द्वारा ओ. एन. जी. सी. के पक्ष में कोई आरोप नहीं लगाया गया है। [पैरा 22,23 और 25) (360-ई-एफ; 361-डी; 362-एफ)

प्रागा टूल्स लिमिटेड बनामबंगाल इंजीनियरिंग कंपनी (पी) लिमिटेड का आधिकारिक परिसमापक 1984 (56) कम्प. सीएएस. 214 (सीएएल)-लागू नहीं किया जा सकता।

1.3 तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद, जिसमें इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि ओ. एन. जी. सी. निर्णय के आलोक में प्रतिवादी से देय शुल्क की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है, इस न्यायालय ने यह निर्देश नहीं दिया कि 27.5.1987 दिनांकित वचन को देखते हुए प्रतिवादी ने ओ. एन. जी. सी. के पक्ष में प्रवर्तनीय आरोप लगाया है। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड की बात है कि ओ. एन. जी. सी. ने भी खुद को एक सुरक्षित लेनदार नहीं माना। उस समय जब कंपनी आधिकारिक परिसमापक के अधिकार क्षेत्र में आई थी, एक सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध दो विकल्पों में से किसी का भी उपयोग ओ. एन. जी. सी. द्वारा नहीं किया गया था; या तो समापन कार्यवाही के बाहर अपनी प्रतिभूतियों को प्राप्त करना या सभी के सामान्य लाभ के लिए अपनी प्रतिभूति को छोड़ना और परिसमापन सी कार्यवाही में भाग लेकर अपने दावे को साबित करना। एक सुरक्षित लेनदार होने की दलील स्पष्ट रूप से एक विचार है। इसलिए, एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 19 और 26] [362-एफ-एच; 363-ए-सी]

एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात एंड अन्य। ओ. एन. जी. सी. और एन. आर. 24 (2) जी. एल. आर. 1437-उद्धृत।

मामला कानून संदर्भः

1998 (3) एस. सी. आर. 255 पैरा 20 पर निर्भर था।

1969 (2) एस. सी. आर. 866 अप्रयोज्य पैरा 21

1984 (56) कम्प.सीएएस.214 लागू नहीं होने वाला पैरा 24

24 (2) जी. एल. आर. 1437 उद्धृत पैरा 6

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः दीवानी याचिका सं 1746/2006

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के ओ. जे. अपील सं. 51/2004 में दिनांकित 16.01.2006 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2006 का सी. ए. सं. 1747,1748,1749,1750 और 1751

पारस कुहड़, ए. एस. जी., प्रतीक जालान, सोमिरन शर्मा, विष्णु शर्मा, जितिन चतुर्वेदी, सुश्री प्रणिता शेखर, के. आर. एच. शशिप्रभु, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

जितेंद्र कुमार, अभिजीत कुमार, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता, ए विपिन कुमार जय, विपुल जय, एस. महेंद्रन, राजीव मेहता, संजय भट्ट, दुष्यंत कुमार, रबीन मजूमदार, नवीन कुमार, अधिवक्ता, प्रतिवादीओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुरिंदर सिंह निजार, जे द्वारा दिया गया था।

1. अपीलकर्ता, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड एक सांविधिक निगम है जिसका गठन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, (1959 का केंद्रीय अधिनियम, 43) द्वारा और उसके तहत किया गया है। 1967 में, अपीलकर्ता ने वडोदरा और उसके आसपास के उद्योगों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की। फेडरेशन ऑफ गुजरात मिल्स एंड इंडस्ट्रीज ने ओ. एन. जी. सी. द्वारा आपूर्ति की जाने वाली गैस को रुपये 100 प्रति इकाई पर खरीदने पर सहमति व्यक्त की।

2. अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई गैस की सदस्यता लेने वाले उद्योगों ने 1978 में "द एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात" (जिसे इसके बाद "एसोसिएशन" के रूप में संदर्भित किया गया है) नामक एक संघ का गठन किया। प्रतिवादी-अंबिका मिल्स कं. लिमिटेड उक्त संघ के सदस्यों में से एक है। सदस्य उद्योगों को गैस की आपूर्ति प्रत्येक संस्था के साथ किए गए व्यक्तिगत अनुबंधों पर आधारित थी। अपीलकर्ता और उक्त संघ के सदस्यों ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया। समझौते में गैस की आपूर्ति के लिए देय मूल्य और निर्धारित मूल्यों का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में ब्याज की दर प्रदान की गई थी।

3. 30 मार्च, 1979 को उपरोक्त अनुबंध की अनुबंध अवधि समाप्त हो गई। अनुबंध की समाप्ति के बाद, एक नया अनुबंध आपूर्ति के लिए मूल्य निर्धारित करता है जो संबंधित अनुबंधों के समय प्रचलित थे। गैस की आपूर्ति के लिए तब लगाया गया मूल्य रुपये 504-प्रति इकाई था।

4. एसोसिएशन ने सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी का गठन किया। एसोसिएशन ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 1979 का विशेष सिविल आवेदन संख्या 833 दायर किया, जिसमें उचित रिट जारी करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें प्रतिवादी (इसमें अपीलकर्ता) को निर्देश दिया गया था कि ओ. एन. जी. सी. द्वारा गैस की आपूर्ति आदि के लिए किस आधार पर मूल्य संरचना तय की गई थी।

5. गुजरात उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन में 30 मार्च, 1979 के एक अंतरिम आदेश द्वारा अपीलकर्ता को पुरानी दर यानी रुपये 504-प्रति 1000 घन मीटर पर गैस की आपूर्ति जारी रखने का निर्देश दिया। 29 दिसंबर, 1982 को उच्च न्यायालय ने उपरोक्त अंतरिम आदेश को संशोधित किया और अपीलकर्ता को एसोसिएशन के सदस्य

उद्योगों को रुपये 1000-प्रति 1000 घन मीटर पर गैस की आपूर्ति करने का निर्देश दिया।

6. 30 जुलाई, 1983 को उक्त सिविल आवेदन को खण्ड पीठ द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई कीमत को दरकिनार कर दिया गया था, जिससे यह निर्णय के पैरा 36 में सुझाए गए तीन तरीकों में से किसी एक में मूल्य निर्धारण के प्रश्न से निपटने के लिए खुला रह गया था। बनाम। ओ. एन. जी. सी. और ए. एन. आर. ने 24 (2) जी. एल. आर. 1437 में सूचना दी।

7. अपीलकर्ता ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध 1983 की सीए सं संख्या 8530-8540 के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी। 15 अप्रैल, 1987 को, इस न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया था कि प्रत्यर्थी सहित संघ के सदस्यों को प्रति 1000 घन मीटर की दर से गैस की आपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि प्रत्यर्थी इस न्यायालय की अनुमति के अलावा किसी भी अचल संपत्ति का शुल्क, बोझ या हस्तांतरण नहीं करेगा।

8. 15 अप्रैल, 1987 के आदेश के अनुसार, अम्बिका मिल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा एक वचन दिया गया था, जिससे 27 मई, 1987 को अपनी-अपनी देनदारी के निर्वहन के लिए अपनी अचल संपत्तियों को उपलब्ध कराया गया था।

9. अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1-अम्बिका मिल्स कंपनी को बंद करने की मांग करते हुए 1983 की कंपनी याचिका संख्या 66 दायर की।

10. 1983 के सीए सं सं. 8530-8540 का अंत में इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया और उसी मामले में 4 मई, 1990 को निर्णय दिया गया। एससीसी 397)। इस न्यायालय ने, मूल्य निर्धारण के संबंध में, 30 जुलाई, 1983 के फैसले के पैरा 36 में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया था। यह देखा गया कि ओ.

एन. जी. सी. इस निर्णय के आलोक में प्रतिवादी से देय शुल्क की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी।

11. उपरोक्त निर्णय के तुरंत बाद, ओ. एन. जी. सी. ने उपरोक्त निर्णय के कुछ निर्देशों और संशोधनों के लिए एक आवेदन दायर किया। जब मामला 8 दिसंबर, 1992 को सुनवाई के लिए लिया गया था, तो एसोसिएशन की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि एसोसिएशन के सदस्य महीने के अंत तक ओएनजीसी को कुछ और महत्वपूर्ण भुगतान करेंगे, और इस तरह किए गए भुगतान का विवरण 8 जनवरी, 1993 को या उससे पहले अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। 6 अप्रैल, 1993 को जब ओ. एन. जी. सी. द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा भुगतान न करने की शिकायत पर दायर एक आवेदन पर मामला फिर से उठाया गया, तो इस अदालत ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों का ओ. एन. जी. सी. को देय राशि का भुगतान करने का दायित्व विवाद से परे था और इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त आदेश में आगे यह देखा गया कि 1 अप्रैल, 1979 से 21 जनवरी, 1987 की अवधि के संबंध में 31 मार्च, 1993 को अंबिका मिल्स कंपनी लिमिटेड से देय मूल राशि, जैसा कि ओ. एन. जी. सी. द्वारा प्रस्तुत विवरण में दिखाया गया है, रु. 58 करोड़ और उस पर ब्याज रु। 4. 96 करोड़। अम्बिका मिल्स कं. लिमिटेड ने मूल राशि स्वीकार की। गणना किए गए ब्याज को सत्यापन के अधीन स्वीकार किया जाएगा। प्रासंगिक समय पर, बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एस. आई. सी. ए.) के तहत अंबिका मिल्स कंपनी लिमिटेड से संबंधित संदर्भ पहले से ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के समक्ष लंबित था। इस मामले पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने 29 अप्रैल, 1993 को ओ. एन. जी. सी. की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि वह देय राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में गैस की आपूर्ति को बंद करने के लिए कदम उठाने का हकदार होगा। इस न्यायालय ने

निर्देश दिया कि मूल राशि का भुगतान 31 मार्च, 1998 तक 5 साल की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। जहाँ तक अंबिका मिल्स का संबंध है, उनकी ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बयान दिया कि प्रतिवादी वर्तमान मामले में ओ. एन. जी. सी. के देय भुगतान के आदेश अहमदाबाद के वटवा में खाली भूमि को बेचने के आदेश तैयार है। अम्बिका मिल्स को इस न्यायालय द्वारा बी. आई. एफ. आर. के समक्ष उस आशय का अनुरोध करने और उपयुक्त निर्देश प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यह भी देखा गया कि ओ. एन. जी. सी. का पूरा बकाया पहले कुल बिक्री मूल्य में से भुगतान किया जाएगा और उसके बाद शेष राशि, यदि कोई हो, बी. आई. एफ. आर. द्वारा निर्देशित किसी अन्य तरीके से उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच बी. आई. एफ. आर. ने अम्बिका मिल्स को परिसमापन में डालने की सिफारिश की। बी. आई. एफ. आर. की यह सिफारिश गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 17 अक्टूबर, 1997 को अन्य समापन के साथ आई, जब उच्च न्यायालय ने एक अस्थायी परिसमापक नियुक्त किया।

12. इसके तुरंत बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी याचिका 1995 में 1999 की आधिकारिक परिसमापक रिपोर्ट संख्या 44 में 2000 का कंपनी आवेदन गुजरात उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें अंबिका मिल्स (परिसमापन में कंपनी) द्वारा ओ. एन. जी. सी. को देय राशि के भुगतान के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। 17 जनवरी, 1997 को उच्च न्यायालय ने मेसर्स अम्बिका मिल्स कंपनी को बंद करने का आदेश दिया। लिमिटेड और आधिकारिक परिसमापक को कंपनी का परिसमापक नियुक्त किया गया था। इसके बाद आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी की संपत्तियों के परिसमापन और प्राप्त राशि के वितरण के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। इस न्यायालय ने 17 अक्टूबर, 1997 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिएः-

"परिसमापन के तहत कंपनी की परिसंपत्तियों में से, ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड के बकाया का भुगतान पहले किया जाना आवश्यक है और किसी अन्य लेनदार को कोई भी भुगतान करने का सवाल अधिशेष में से तभी प्राप्त हो सकता है जब ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड के बकाया भुगतान के बाद कोई शेष राशि का भुगतान कर दिया गया हो। इसलिए उच्च न्यायालय को इस तरीके से मामले को आगे बढ़ाना है। जैसा कि खड़ा निपटाया जाता है।"

13. ओ. एन. जी. सी. का यह मामला है कि उसे आधिकारिक परिसमापक से 28 सितंबर, 1999 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि अम्बिका मिल्स (परिसमापन में) संपत्ति के भूखंड का निपटान रु. 90.11 लाख और रुपये की प्रारंभिक किस्त। उक्त भूखंड के खरीदार द्वारा 22.52 लाख पहले ही जमा किए जा चुके थे। ओ. एन. जी. सी. को उपरोक्त राशि जारी करने की प्रार्थना की गई।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी श्रम संघ, भद्रा ने 1983 के सीए सं॰ 8530-40 में आई ए सं 168-178/1997 में 2001 समीक्षा याचिका सं॰ 1193-1203 दाखिल करके 17 अक्टूबर, 1997 के आदेश की समीक्षा की मांग की थी। उपरोक्त समीक्षा याचिकाओं पर इस न्यायालय द्वारा 12 अप्रैल, 2004 को निर्णय लिया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि ओ. एन. जी. सी. के दावों को कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529ए के अनुसार भी तैयार करना होगा। ओ. एन. जी. सी. की ओर से की गई दलीलें कि इस न्यायालय द्वारा पहले परमादेश किया गया आदेश कि ओ. एन. जी. सी. को परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों की किसी भी बिक्री से पहले भुगतान किया जाना चाहिए, प्रबल होगा, भले ही कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529ए में निहित वैधानिक प्रावधानों को खारिज कर दिया गया हो। इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय 2004 (9) एस. सी. सी. 741 में सूचित किया गया है।

15. रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि ओ. एन. जी. सी. ने न्यायाधीशों के सम्मन देना के माध्यम से 1995 की कंपनी याचिका सं॰ 121 में 2000 के कंपनी आवेदन सं॰ 445 को स्थानांतरित किया, जिसमें निर्देश मांगे गए थे कि ओ. एन. जी. सी. की बकाया राशि का भुगतान कंपनी द्वारा परिसमापन में किया जाए। इसके अलावा, कंपनी को उसके एजेंटों, अधिकारियों और कर्मचारियों को परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री से उपलब्ध किसी भी बिक्री आय का किसी भी तरह से भुगतान/वितरण करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा जारी की जाए। इसके अलावा अंबिका मिल्स को कंपनी की अचल संपत्तियों के परिसमापन में किसी भी प्रकार के शुल्क हस्तांतरण और निर्वहन से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। इस आवेदन पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विस्तार से सुनवाई की गई और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गयाः-

> "2.16 अतः ओ. एन. जी. सी. अधिनियम की खंड 529 और 529ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए 17.10.1997 के आदेश के आधार पर किसी भी तरजीही अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इस तरह का अधिमानी दावा, यदि अधिनियम की खंड 530 के तहत आता है, तो अधिनियम की खंड 529 और 529ए के तहत सुरक्षित लेनदारों और कामगारों के दावों का पालन करेगा। यदि ओ. एन. जी. सी. का दावा अधिनियम की खंड 530 के तहत तरजीही साबित नहीं होता है तो वे अन्य लेनदारों के अन्य सभी दावों के साथ विचार के लिए आते हैं क्योंकि ओ. एन. जी. सी. अपने आप में एक डिक्री धारक है।
>
> 2. 16बी इस चरण में इस आवेदन को देने से पहले जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, यानी अधिनियम की धारा 529 और 529 ए

के तहत सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों के दावों पर कार्रवाई करने से पहले। बार में स्पष्ट बयान के बावजूद, निर्देशों के तहत, कि ओ. एन. जी. सी. आधिकारिक परिसमापक के समक्ष कोई दावा दर्ज नहीं करना चाहती थी, ओ. एन. जी. सी. के लिए कानून के अनुसार अपना दावा दर्ज करने और परिसमापन में कंपनी के अन्य लेनदारों के दावों पर विचार करने के लिए उसकी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए खुला रहेगा। तदनुसार आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। नोटिस जारी किया जाता है।"

16. उपरोक्त निर्देशों से व्यथित ओ. एन. जी. सी. ने 2004 की ओ. जे. अपील सं॰ 51 दायर की। 18 अक्टूबर, 2004 को, खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक लगा दी, बशर्ते कि प्रत्येक कार्यकर्ता को रुपये 2500 की दर से वितरित किया जाए, जैसा कि पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। उपरोक्त अपील को उच्च न्यायालय द्वारा 16 जनवरी, 2006 के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है, जो वर्तमान अपील को जन्म देता है।

17. हमने पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और पक्षों विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

18. अपीलकर्ता की ओर से श्री पारस कुहाड़ ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की थी कि अपीलकर्ता 17 अक्टूबर, 1997 को पारित आदेश के आधार पर किसी भी तरजीही अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। श्री कुहाड़ के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा की गई दूसरी त्रुटि यह है कि उसने गलत निष्कर्ष निकाला है कि 15 अप्रैल, 1987 को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश और इस न्यायालय के आदेश के अनुसार कंपनी द्वारा अंबिका मिल्स कंपनी लिमिटेड के

परिसमापन में दिए गए वचन के आधार पर अपीलकर्ता के पक्ष में कोई प्रतिभूति नहीं बनाई गई थी। श्री कुहाड़ के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा की गई तीसरी त्रुटि यह है कि अपीलकर्ता के पक्ष में कोई प्रतिभूति नहीं बनाई गई है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 125 के तहत कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है। श्री कुहाड़ ने प्रस्तुत किया है कि 27 मई, 1987 का वचन कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529ए में दी गई प्राथमिकताओं पर एक अधिरोपण है। उनके निवेदन के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कई निर्णयों पर भरोसा किया है जिन्हें हम वर्तमान में देखेंगे।

19. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सिविल अपील की उत्पत्ति 15 अप्रैल, 1987 का अंतरिम आदेश है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त आदेश एक निषेधाज्ञा आदेश की प्रकृति में है जिसके तहत परिसमापन में कंपनी को निर्देश दिया गया था कि वह इस अदालत की अनुमति के अलावा अपनी किसी भी संपत्ति पर बोझ न लगाए या उसे अलग न करे, जिसमें संबंधित उपक्रमों में सूचीबद्ध संपत्ति भी शामिल है। निषेधाज्ञा का दूसरा भाग यह था कि प्रतिवादी अपनी अचल संपत्तियों को ओ. एन. जी. सी. को संबंधित देनदारियों के निर्वहन के लिए उपलब्ध कराएंगे। अम्बिका मिल्स कं. लिमिटेड द्वारा दायर वचन पत्र में कहा गया था कि "इस न्यायालय की अनुमति के अलावा, 15 अप्रैल, 1987 से कंपनी की किसी भी अचल संपत्ति पर आगे शुल्क नहीं लगाया जाएगा और उस पर बोझ नहीं डाला जाएगा।" प्रतिवादी का यह निवेदन है कि उपरोक्त उपक्रम में किसी भी अचल संपत्ति का कोई विशिष्ट विवरण और विवरण नहीं दिया गया था या प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए, उपरोक्त उपक्रम अपीलकर्ता को अम्बिका मिल्स कं. लिमिटेड का एक सुरक्षित लेनदार नहीं बनाता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के 4 मई, 1990 के निर्णय में भी। अन्य एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात और अन्य। 1990 (पूरक) एस. सी.

सी. 397 में सूचित किया गया कि 15 अप्रैल, 1987 के आदेश या 27 मई, 1987 के उपक्रम ने अपीलकर्ता को एक सुरक्षित लेनदार का दर्जा प्रदान नहीं किया है। इस न्यायालय ने केवल यह निर्देश दिया कि ओ. एन. जी. सी. निर्णय के आलोक में प्रतिवादी से बकाया की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी तरह इस न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 1993 का आदेश पारित करते समय कोई आरोप नहीं लगाया गया था। 17 अक्टूबर, 1987 के आदेश की व्याख्या करते हुए, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आदेश में केवल यह निर्देश दिया गया हैं कि परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों की बिक्री के मामले में, ओ. एन. जी. सी. के बकाया का भुगतान पहले किया जाएगा। लेकिन इस आदेश की बाद में 12 अप्रैल, 2004 को समीक्षा की गई जिसमें निर्देश दिया गया कि 17 अक्टूबर, 1997 के आदेश को कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529ए के प्रावधानों के अधीन पढ़ना होगा। इसलिए, सुरक्षित लेनदारों के पास दो विकल्प थे, या तो समापन कार्यवाही के बाहर अपनी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए या सभी के सामान्य लाभ के लिए अपनी प्रतिभूति को छोड़ने और परिसमापन कार्यवाही में भाग लेकर अपने दावे को साबित करने के लिए। अपीलकर्ता ने यह जानते हुए कभी कोई विकल्प नहीं दिया कि वह एक सुरक्षित लेनदार नहीं है। अपीलार्थियों द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उन्हें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अलग करने की मांग की गई है।

20. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है। हमारी राय में, अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि 15 अप्रैल, 1987 के आदेश ने परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक प्रवर्तनीय शुल्क लगाया है। हमारी राय है कि प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता अपनी प्रस्तुतियों में बिल्कुल सही हैं कि एक निषेधाज्ञा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई थी कि परिसमापन में कंपनी परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों पर तीसरे पक्ष के पक्ष में और

बोझ या शुल्क नहीं लगाती है। हमारी राय में, न तो 15 अप्रैल, 1987 के अंतरिम आदेश और न ही उसके अनुसार दिए गए वचन को परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों पर शुल्क कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने कंपनी अधिनियम की खंड 125 में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए इंडियन बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक, चेमीन्स एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड और O रुपये 1 के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

> "6. चूंकि प्रारंभिक डिक्री को अधिनियम की खंड 125 के तहत अमान्य माना जाता है, इसलिए उक्त प्रावधान को यहां पढ़ना उपयोगी होगा, जहां तक यह हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है। इसमें लिखा हैः
>
> "125. परिसमापक या लेनदारों के खिलाफ कुछ शुल्क तब तक शून्य होंगे जब तक कि वे पंजीकृत न हों।
>
> (1) इस भाग के 1 (1998) 5 एस. सी. सी. 401 उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी द्वारा अप्रैल, 1914 के पहले दिन या उसके बाद सृजित प्रत्येक प्रभार और वह प्रभार जिसके लिए यह खंड लागू होती है, परिसमापक और कंपनी के किसी भी लेनदार के खिलाफ शून्य होगा, जब तक कि शुल्क के निर्धारित विवरण, उस लिखत, यदि कोई हो, जिसके द्वारा आरोप बनाया गया है या प्रमाणित किया गया है, या निर्धारित तरीके से सत्यापित इसकी एक प्रति, इस अधिनियम द्वारा आवश्यक तरीके से पंजीकरण के लिए पंजीयक के पास उसके निर्माण की तारीख के तीस दिनों के भीतर दाखिल नहीं की जाती हैःबशर्ते कि पंजीयक, अनुसूची 10 में निर्दिष्ट शुल्क की राशि के दस गुना से

अधिक अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर, जैसा कि पंजीयक निर्धारित करे, उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अगले तीस दिनों के भीतर उपरोक्त विवरण और प्रतिलिपि के लिखत को दाखिल करने की अनुमति दे सकता है, यदि कंपनी पंजीयक को संतुष्ट करती है कि उस अवधि के भीतर विवरण और लिखत या प्रतिलिपि दाखिल नहीं करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात शुल्क द्वारा सुरक्षित धन के पुनर्भुगतान के लिए किसी अनुबंध या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) जब इस खंड के तहत कोई शुल्क शून्य हो जाता है, तो इससे सुरक्षित राशि तुरंत देय हो जाएगी।

(4) यह खंड निम्नलिखित शुल्कों पर लागू होती हैः

(क) डिबेंचरों के किसी भी निर्गम को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक शुल्क;

(ख) कंपनी की अनावश्यक शेयर पूंजी पर शुल्क;

(ग) किसी भी अचल संपत्ति पर शुल्क, जहां कहीं भी स्थित हो, या उसमें कोई ब्याज;

(घ) कंपनी के किसी भी बही ऋण पर प्रभार;

(ई) कंपनी की किसी भी चल संपत्ति पर एक शुल्क, जो गिरवी नहीं है;

(च) स्टॉक-इन-ट्रेड सहित उपक्रम या कंपनी की किसी संपत्ति पर अस्थायी शुल्क;

(छ) की गई लेकिन भुगतान नहीं की गई कॉल पर शुल्क; (ज) जहाज पर शुल्क या जहाज में कोई हिस्सा;

(i) सद्भावना पर, पेटेंट या पेटेंट के तहत लाइसेंस पर, ट्रेडमार्क पर, या कॉपीराइट या कॉपीराइट के तहत लाइसेंस पर शुल्क। (5) से (8) * * * "

"7. उप-धारा (1) के स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई कंपनी अपनी संपत्तियों पर 1-4-1914 के बाद, उप-धारा (4) में प्रगणित प्रकृति का प्रभार लगाती है, और तीस दिनों के भीतर कंपनी के पंजीयक के साथ पंजीकृत किसी लिखत, यदि कोई हो, के साथ शुल्क रखने में विफल रहती है, तो यह परिसमापक और कंपनी के किसी भी लेनदार के खिलाफ शून्य होगा। हालाँकि, यह अधिनियम के भाग V के प्रावधानों के अधीन है। परंतुक पंजीयक को निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर तीस दिनों की सीमा की अवधि में ढील देने में सक्षम बनाता है, यह संतुष्ट होने पर कि निर्दिष्ट अवधि के भीतर विवरण और लिखत या उसकी एक प्रति दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण है। उपखंड (2) और (3) शुल्क द्वारा सुरक्षित धन के पुनर्भुगतान से संबंधित हैं। उप-खंड (2) में प्रावधान है कि उप-खंड (1) का प्रावधान शुल्क द्वारा सुरक्षित धन के पुनर्भुगतान के लिए अनुबंध या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और उप-खंड (3) में कहा गया है कि जब उस खंड के तहत कोई शुल्क शून्य हो जाता

है, तो सुरक्षित धन तुरंत देय हो जाएगा। यद्यपि अधिनियम के भाग 5 के तहत शुल्क का पंजीकरण न होने के परिणामस्वरूप, एक लेनदार कंपनी के परिसमापन की स्थिति में एक सुरक्षित लेनदार के रूप में कंपनी की संपत्तियों के खिलाफ शुल्क लागू करने में समर्थ नहीं हो सकता है क्योंकि परिसमापक और लेनदार के खिलाफ शुल्क शून्य हो जाता है, फिर भी वह अन्य असुरक्षित लेनदारों के बराबर कंपनी द्वारा देय ऋण की वसूली करने का हकदार होगा। यह भी स्पष्ट है कि खंड 125 कंपनी द्वारा 1-4-1914 पर या उसके बाद बनाए गए प्रत्येक शुल्क पर लागू होती है। लेकिन जहां आरोप कानून के संचालन द्वारा है या अदालत के आदेश या डिक्री द्वारा बनाया गया है, खंड 125 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।"

21. पैराग्राफ 7 में की गई टिप्पणियाँ, हमारी राय में, श्री पारस कुहाड़ द्वारा की गई प्रस्तुति का एक पूर्ण उत्तर है। स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता केवल अन्य असुरक्षित लेनदारों के बराबर बकाया की वसूली करने का हकदार है। हमारी राय में, 15 अप्रैल, 1987 का आदेश केवल परिसमापन में कंपनी पर प्रतिबंध की प्रकृति में था ताकि उसकी किसी भी संपत्ति को और बोझ न डाला जा सके। इसका चार्ज बनाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। श्री कुहाड़ ने अपनी इस दलील के समर्थन में कि 15 अप्रैल, 1987 के अंतरिम आदेश को न्यायालय के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए, जे. के. (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड पर भरोसा किया है। बनाम न्यू कैसर-ए-हिंद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड उपरोक्त निर्णय में, निस्संदेह यह माना गया है कि "शुल्क बनाने के लिए शब्दों के किसी विशेष रूप की आवश्यकता नहीं है और केवल यह आवश्यक है कि धन के भुगतान के लिए संपत्ति की प्रतिभूति करने का स्पष्ट इरादा होना चाहिए।" इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इस

न्यायालय के निर्णयों को वैधानिक साधनों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। निर्णय के अनुपात को किसी विशेष मामले में शामिल 2 (1969) 2 एस. सी. आर. 866 तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निकाला जाना चाहिए। उस मामले के तथ्यों पर पैराग्राफ 26 में ध्यान दिया गया है जिसमें से श्री कुहद द्वारा अपनी प्रस्तुति के समर्थन में उपरोक्त तीन पंक्तियाँ निकाली गई हैं। हम उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 26 के प्रासंगिक भाग को उद्धृत करते हैं जो इस प्रकार हैः

> "26.....यह तर्क दिया गया था कि जहां एक समझौता एक ऐसी संपत्ति को निर्दिष्ट करता है जिसमें से एक ऋण देय होना है और ऐसी संपत्ति को शुल्क के अधीन करने के इरादे से जोड़ा जाता है, तो संपत्ति वास्तव में शुल्क के अधीन हो जाती है, भले ही एक नियमित बंधक भविष्य की किसी तारीख में निष्पादित किया जाना हो। विद्वान महान्यायवादी दिया कि इस तरह के इरादे को समझौते द्वारा प्रदर्शित किया गया था कि (1) ऋणों का भुगतान लाभ से किया जाना था और (2) कंपनी द्वारा अपनी परिसंपत्तियों से निपटने के लिए नहीं। शुल्क और बंधक के बीच का अंतर स्पष्ट है। जबकि किसी शुल्क के मामले में संपत्ति का कोई हस्तांतरण या उसमें कोई ब्याज नहीं होता है, लेकिन केवल निर्दिष्ट संपत्ति से भुगतान के अधिकार का निर्माण होता है, एक बंधक संपत्ति के हस्तांतरण या उसमें ब्याज को प्रभावित करता है। आरोप लगाने के लिए शब्दों के किसी विशेष रूप की आवश्यकता नहीं है और केवल यह आवश्यक है कि धन के भुगतान के लिए संपत्ति की प्रतिभूति करने का स्पष्ट इरादा होना चाहिए। जेवान लाल डागा बनाम नीलमणि चौधरी में, जिस मामले पर उनके द्वारा भरोसा किया गया था, सवाल बंधक के समझौते से संबंधित था।

समझौते के बाद, एक मसौदा बंधक तैयार किया गया था जिसे प्रतिवादी के वकीलों द्वारा अनुमोदित किया गया था, बंधक विलेख को शामिल किया गया था और यहां तक कि इसके लिए डाक टिकट का भुगतान भी प्रतिवादी द्वारा किया गया था। सवाल यह था कि क्या प्रत्यर्थी को बंधक को निष्पादित करने के लिए मजबूर करने वाले समझौते का विशिष्ट प्रदर्शन पक्षों के बीच खातों को बनाने और उसके तहत देय राशि का पता लगाने से पहले दिया जा सकता है। प्रिवी काउंसिल ने उच्च न्यायालय से असहमति जताते हुए कहा कि ऐसा किया जा सकता है और कहा कि "वास्तव में जो भी राशि बकाया थी, उसके साथ संपत्ति पर शुल्क लगाने के लिए एक वैध समझौता था कि इन शर्तों को पूरा करने के लिए एक उचित बंधक का निष्पादन किया जाना चाहिए। "खाजेह सुलेमान कादिर बनाम सलीमुल्लाह में कुछ कार्यों को एक मुसलमान परिवार के सदस्यों के पक्ष में कुछ संपत्तियों के वक्फ बनाने और फिर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए निष्पादित किया गया था। बाद में, समझौतों को निष्पादित किया गया, जिनमें से एक के तहत परिवार के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि वक्फ के तहत निर्धारित भत्तों का भुगतान परिवार के नामित व्यक्तियों को आय में से और उनकी मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों को किया जाना चाहिए, और दूसरे समझौते के तहत मुतवल्ली ने सहमति व्यक्त की कि वह और भावी मुतवल्ली उक्त भत्तों का भुगतान करेंगे। वक्फों को अवैध माना गया क्योंकि वे संपदाओं का एक स्थायी उत्तराधिकार बना रहे थे। सवाल यह था कि क्या भत्ते का भुगतान करने के समझौते भी उनके साथ हुए। प्रिवी काउंसिल ने माना कि उन्होंने ऐसा नहीं किया,

कि वे वैध और लागू करने योग्य थे और समझौतों में तय की गई संपत्तियों की आय से भत्तों का भुगतान करने का निर्देश एक शुल्क बनाने का इरादा दर्शाता है। इन दोनों निर्णयों में बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पक्षकारों की ओर से स्पष्ट रूप से आरोप लगाने का इरादा था। विद्वान महान्यायवादी था कि यदि कोई समझौता एक ऐसी संपत्ति का संकेत देता है जिसमें से एक ऋण का भुगतान किया जाना है और इसे अदालत में आरोप के अधीन करने का इरादा है, तो अदालत को आरोप का पता लगाना चाहिए। कुछ अन्य निर्णय भी हमारे संज्ञान में लाए गए थे, लेकिन उनके साथ इस निर्णय का बोझ डालना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रत्येक मामले में अदालत को जो सवाल तय करना होगा वह यह होगा कि क्या विचाराधीन समझौता व्यावहारिक रूप से आरोप बनाता है।....."

22. उपरोक्त टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि महान्यायवादी द्वारा की गई दलीलों की जांच कर रही थी। महान्यायवादी का प्रयास इस महान्यायवादी को उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों पर यह समझाने का था कि एक समझौता था जिसने आरोप बनाने का इरादा स्थापित किया था। 15 अप्रैल, 1987 के आदेश को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह सबसे पहले ओ. एन. जी. सी. को 1000 क्यूबिक मीटर के लिए रुपये 1000 की दर से गैस की आपूर्ति जारी रखने का निर्देश देता है। ऐसा निर्देश केवल प्रतिवादी द्वारा दिए गए एक वचन पर लागू किया जाएगा कि वे इस न्यायालय की अनुमति के अलावा किसी भी संपत्ति पर बोझ नहीं उठाएंगे या उसे अलग नहीं करेंगे। एक और निर्देश यह था कि संबंधित उपक्रम में शामिल अचल संपत्तियों को प्रतिवादी कंपनी की संबंधित देनदारियों के निर्वहन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस मामले में परिसमापन में कंपनी द्वारा दिया गया वचन इस प्रकार थाः

"3. मैं कहता हूं कि प्रत्यर्थी कंपनी यह वचन देती है कि कंपनी की किसी भी अचल संपत्ति पर इस माननीय न्यायालय की अनुमति के अलावा, इस माननीय न्यायालय के आदेश की तारीख से प्रभावी रूप से आगे शुल्क नहीं लिया जाएगा और बोझ नहीं डाला जाएगा।

4. मैं कहता हूं कि प्रतिवादी सं॰ 10 कंपनी आगे इस माननीय न्यायालय की अनुमति के अलावा 15.04.1987 से प्रभावी अपनी किसी भी अचल संपत्ति को अलग नहीं करने का वचन देती है। प्रत्यर्थी सं॰ 10 कंपनी आगे उन देनदारियों के निर्वहन की स्थिति में अपनी सभी अचल संपत्तियों को उपलब्ध कराने का कार्य करती है जो इस संबंध में कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान कंपनी को आपूर्ति की जा रही सभी गैस की कीमत और वर्तमान अपीलों का अंत में निपटारा करते समय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली कीमत के बीच के अंतर के कारण उत्पन्न हो सकती हैं।"

23. उपरोक्त उपक्रम के अवलोकन से पता चलता है कि अंबिका मिल्स ने किसी विशेष अचल संपत्ति की पहचान नहीं की है जो अपीलकर्ता के पक्ष में देनदारियों के निर्वहन में उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए, हमें श्री कुहाड़ के इस कथन को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि उपक्रम के साथ पढ़े गए अंतरिम आदेश में परिसमापन में कंपनी की किसी विशेष संपत्ति पर लागू करने योग्य प्रभार बनाने का इरादा व्यक्त किया गया है।

24. हमारी राय है कि प्रागा टूल्स लिमिटेड के मामले में निर्णय बनाम बंगाल इंजीनियरिंग कंपनी (पी) लिमिटेड का आधिकारिक परिसमापक (1984) 56 कम्प.

सीएएस. 214 (सीएएल) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी लागू नहीं होगा। श्री कुहद ने निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया हैः

> "श्री मुखर्जी के तर्क में भ्रांति, मेरे विचार में, यह है कि एस. के. रॉय चौधरी जे. (जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था), दिनांक 1 अगस्त, 1978 के आदेश के पारित होने के बाद, सुरक्षा के संबंध में स्थिति ने पूरी तरह से अलग रंग धारण कर लिया। उस आदेश द्वारा, जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है, याचिका-लेनदार के दावे का एक निश्चित राशि पर निपटारा किया गया था। उस पैसे के भुगतान के लिए एक तरीका बताया गया था। फिर एक डिफ़ॉल्ट खंड है। उस पूर्वनिर्धारित खंड में एक नया समापन कार्यवाही शुरू करने या अदालत की डिक्री के रूप में शेष राशि को निष्पादित करने का एक दोहरा विकल्प था। यह केवल अंतिम आकस्मिकता के पक्ष में एक विकल्प का प्रयोग किए जाने की स्थिति में है। न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादन की स्थिति में, कि आर. एम. दत्ता जे. के आदेश के अनुसार जो प्रतिभूति प्रदान की गई थी, वह डिक्री की संतुष्टि के लिए आवेदक कंपनी के लिए एक प्रतिभूति होगी और डिक्री के लिए प्रतिभूति होगी जब तक कि निर्णायक बकाया का भुगतान नहीं किया जाता। इस प्रकार, जहां तक आवेदक कंपनी का संबंध है, प्रतिभूति का लाभ पूरी तरह से राय चौधरी जे. के 1 अगस्त, 1978 के आदेश का अंश है। मेरे विचार में, इसे किसी भी तरह से कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 125 के अर्थ में "कंपनी द्वारा बनाया गया शुल्क" नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए उपरोक्त खंड के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

इसलिए, मैंने जो कहा है, उसके अनुसार यह प्रश्न कि मूल रूप से प्रस्तुत प्रतिभूति कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 125 के तहत पंजीकृत थी या नहीं, 1 अगस्त, 1978 के न्यायाधीश रॉय चौधरी के आदेश के बाद आवेदक कंपनी के अधिकार का निर्धारण करने के उद्देश्य से पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा।"

25. हमारी राय में, उपरोक्त टिप्पणियां इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होंगी, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश द्वारा ओ. एन. जी. सी. के पक्ष में कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

26. श्री कुहाड़ ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने विशेष रूप से ओ. एन. जी. सी. के दायित्व के निर्वहन के लिए परिसंपत्तियों को उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है, श्री पारस कुहाड़ के अनुसार, यह एक प्रवर्तनीय आरोप बनाने के समान था। हम उपरोक्त निवेदन को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं। तेल और प्राकृतिक गैस (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद, जिसमें इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि ओ. एन. जी. सी. निर्णय के आलोक में प्रतिवादी से देय शुल्क की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। इस न्यायालय ने यह निर्देश नहीं दिया कि 27 मई, 1987 के वचन को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी ने ओ. एन. जी. सी. के पक्ष में प्रवर्तनीय आरोप लगाया है। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड की बात है कि ओ. एन. जी. सी. ने भी खुद को एक सुरक्षित लेनदार नहीं माना। जिस समय अंबिका मिल्स कंपनी लिमिटेड आधिकारिक परिसमापक के अधिकार क्षेत्र में आई थी, उस समय ओ. एन. जी. सी. द्वारा पहले बताए गए दो विकल्पों में से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था। एक सुरक्षित लेनदार होने की दलील स्पष्ट रूप से एक विचार है। इसलिए, हमारी राय में, गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश

और खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं। तदनुसार दीवानी अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

राजेंद्र प्रसाद

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।